अध्याय एक

सत्याग्रह

1.1 सत्याग्रह की अवधारणा

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता हैं। 'सत्य के प्रति समपर्ण था सत्य की शक्ति ' हो सकता हैं। सत्याग्रह का अनुयायी सत्याग्रही अहिंसा का पालन करते हुए शांति व प्रेम का लक्षय सामने रखकर सत्य की खोज द्वारा किसी बुराई की वास्तविक प्रकृति को देखने की सही अंतदृष्टि प्राप्त कर लेता हैं। इसका अभिप्राय सामाजिक एवं राजनीतिक अन्यायों को दूर करने के लिए सत्य और आंहिसा पर आधारित आत्मिक बल का प्रयोग था। यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध था, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कष्ट सहन द्वारा विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो। दक्षिण अफ्रीका में इस आंदोलन को अत्यधिक सफलता मिली, जनरल स्मट्स को प्रवासी भारतीयों के आंदोलन का औचित्य स्वीकार करना पड़ा और भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। अंततः इस आंदोलन से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की शिकायतें दूर हुई।

सत्याग्रह, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भंग शुरू करने तक संसार 'नि:शस्त्र प्रतीकार' अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध की युद्धनीती से ही परिचित था। यदि प्रतिपक्षी की शक्ति हमसे अधिक है तो सशस्त्र विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सबल प्रतिपक्षी से बचने के लिए नि:शस्त्र प्रतिकारकी युद्धनीती का अवलंबन किया जाता था। इंग्लैण्ड में स्त्रियॉं ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए इसी 'निष्क्रिय प्रतिरोध' का मार्ग अपनाया था। इस प्रकार प्रतिकारमें प्रतिपक्षी पर शस्त्र से आक्रमण करने की बात छोडकर उसे दूसरे हर प्रकार से तंग करना, छल कपट से उसे हानि पहुंचाना, अथवा उसके शत्रु से संधि करके उसे नीचा दिखाना आदि उचित समझा जाता था। गांधी जी को इस प्रकार की दुर्नीति पसंद नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन की कार्यपद्धति बिलकुल भिन्न थी, उनका सारा दर्शन ही भिन्न था। अतः अपनी युद्धनीति के लिए

उनको नए शब्द की अवश्यकता महसूस हुई। सही शब्द प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता की जिसमें स्वर्गीय मगनलाल गांधी ने एक शब्द समझाया "सदाग्रह" जिसमें थोड़ा परिवर्तन करके गांधी जी ने ' सत्याग्रह' शब्द स्वीकार किया। अमरीका के दार्शनिक थोरो ने जिस सिविल डिसओबिडियेन्स (सविनय अवज्ञा) की टेकनिक का वर्णन किया है , 'सत्याग्रह' शब्द उस प्रक्रिया से मिलता जुलता था।

'सत्याग्रह' का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना। अन्यायी के प्रति वैर-भाव न रखना, सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुये निर्भयतापूर्वक मृत्यु का वरण करना चाहिए और मरते- मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके प्रति वैरभाव या क्रोध नहीं करना चाहिए। 'सत्याग्रह' में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हैं। धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता हैं, वही दूसरे को गलत दिखाई दे सकता हैं। धैर्य का तात्पर्य कष्टसहन से हैं। इसलिए इस सिद्धान्त का अर्थ हो गया,'विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट उढ़ाकर सत्य का रक्षण ।' महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह में एक पद 'प्रेम 'अध्याहत हैं। सत्याग्रह मध्यम पद लोपी समास हैं। (सत्य +प्रेम +आग्रह =सत्याग्रह)। गांधी जी ने लॉर्ड इंटर के सामने सत्याग्रह की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार कि थी :- 'यह ऐसा आंदोलन हैं जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा के उपायों के एवज में चलाया जा रहा '। अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं,क्योंकि सत्य तक पहुँचने और उन पर टीके रहने का एकमात्र उपाय अहिंसा ही हैं। और गाँधी जी के ही शब्दों में अहिंसा किसी को चोट न पहुँचाने कि नकारात्मक वृत्तिमात्र नहीं हैं, बल्कि वह सक्रिय प्रेम कि विधायक वृत्ति हैं।

सत्याग्रह में स्वयं कष्ट उठाने कि बात हैं, सत्य का पालन करते हुए मृत्यु के वरण कि बात हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में "उपवास" सबसे शक्तिशाली शस्त्र हैं। जिसे किसी रूप में हिंसा का आश्रय नहीं लेना हैं, उसके लिए उपवास अनिवार्य हैं। मृत्यु पर्यंत कष्ट सहन और इसलिए मृत्यु उपवास भी , सत्याग्रही का अंतिम अस्त्र हैं। परंतु अगर उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करे तो वह व्याज्य है: आचार्य विनोबा जिसे सौम्य , सौम्यतर, सौम्यतम सत्याग्रह कहते हैं, उस भूमिका में उपवास का स्थान अंतिम हैं। "सत्याग्रह"

एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं हैं, एक विशिष्ट जीवन पद्धति भी है जिसके मूल मेन अहिंसा, सत्य , अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्राह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव आदि एकादश व्रत हैं। जिसक व्यक्तिगत जीवन इन व्रतों के कारण शुद्ध नहीं है, वह सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसलिए विनोबा इन व्रतों को "सत्याग्रह निष्ठा" कहते हैं। "सत्याग्रह और निःशस्त्र प्रतिकार" मे उतना ही अंतर हैं, जितना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में निःशस्त्र प्रतिकार की कल्पना एक निर्बल के अस्त्र के रूप मे की गई हैं और उसमें अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए हिंसा का उपयोग वर्जित नहीं हैं,जबकि सत्याग्रह की कल्पना परम अस्त्र के रूप में की गई हैं और इसमें किसी भी रूप में हिंसा के प्रयोग के लिए स्थान नहीं हैं। इस प्रकार सत्याग्रह निष्क्रिय स्थिति नहीं हैं। वह प्रबल प्रतिकार हैं, परंतु वह निष्क्रिय नहीं हैं। अन्यायी और अन्याय के प्रतिकार का प्रश्न सनातन हैं। अपनी सभ्यता के विकासक्रम में मनुष्य ने प्रतिकार के लिए प्रमुखतः चार पद्धतियों का अवलंबन किया हैं :-

(1) पहली पद्धति हैं ,बुराई के बदले अधिक बुराई। इस पद्धति से दंडनीति का जन्म हुआ जब इससे समाज और राष्ट्र की समस्याओं के निराकरण का प्रयास हुआ तो युद्ध की संस्था का विकास हुआ।
(2) दूसरी पद्धति हैं, बुराई के बदले समान बुराई अर्थात अपराध का उचित दंड दिया जाए, अधिक नहीं। यह अमर्यादित प्रतिकार को सीमित करने का प्रयास हैं।
(3) तीसरी पद्धति है, बुराई के बदले भलाई। यह बुद्ध, ईसा, गांधी आदि संतों का मार्ग हैं। इसमें हिंसा के बदले अहिंसा का तत्व अंतर्निहित हैं।
(4) चौथी पद्धति हैं, बुराई की उपेक्षा।

आचार्य विनोबा कहते है :- "बुराई का प्रतिकार मत करो बल्कि विरोधी की समुचित चिंतन में सहायता करो।" उसके सदविचार में सहकार करो। शुद्ध विचार करने,सोचने समझने, व्यक्तिगत जीवन में उसका अमल करने और दूसरों को समझने में ही हमारे लक्षण की पूर्ति होनी चाहिए। सामने वाले के सम्यक चिंतन में मदद देना ही सत्याग्रह का सही सौम्यतर और सौम्यतम प्रक्रिया कहते हैं। सत्याग्रह प्रेम की प्रक्रिया हैं। उसे कम-से-कम अधिकाधिक निखरते होना चाहिए।

सत्याग्रह कुछ नया नहीं है, कौटुंबिक जीवन का राजनीतिक जीवन में प्रसार मात्र है। गांधी जी की देन यह हैं कि उन्होने सत्याग्रह के विचार का राजनीतिक जीवन में सामूहिक प्रयोग किया , ऐसा कहा जाता है। लोकतन्त्र में , जहाँ सारा काम लोक की राय से , लोकप्रतिनिधियों के माध्यम से चल रहा हैं, सत्याग्रह के लिए कोई स्थान नहीं हैं। विनोबा कहते हैं- "वास्तव में सामूहिक सत्याग्रह आवश्यकता तो उस तंत्र में नहीं होगी, जिसमें निर्णय सर्वसम्मति से होगा। परंतु उस दशा में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह पड़ोसी के सम्यक चिंतन में सहकार के लिए तो हो ही सकता हैं। परंतु लोकतन्त्र में जब विचारस्वतंत्र और विचारप्रधान के लिए पूरा अवसर है, तो सत्याग्रह को किसी प्रकार के दबाव घेराव अथवा बंद , का रूप नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा हुआ तो सत्याग्रह की सौम्यता नष्ट हो जाएगी। सत्याग्रही अपने धर्म से लुप्त हो जाएगा।"

गांधी के सत्याग्रह का सृजन दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति के असाधारण परिप्रेक्ष्य में हुआ तथा उसका पोषण भारत में विदेशी ब्रिटिश शासन तथा देशी रियासतों के सामंतवादी शासन की असाधारण परिस्थितियों में हुआ[1]। यद्यपि गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में 1893 की संध्या में ही हो गई थी,गांधी की सत्याग्रह शब्द का आविष्कार करने में दस वर्ष से भी अधिक का समय लग गया। सत्याग्रह का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि गांधी की आत्मा और उनका विवेक रंगभेद से होने वाले अन्याय को सह न पाया, लेकिन सत्याग्रह को जो उन्होने प्रारंभ में संज्ञाएँ दी जिन साधनों का उन्होने सहारा लिया वे लगभग सब के सब पश्चिमी राष्ट्रो के पूर्ववर्ती तथा समकालीन सिद्धन्तों , प्रवचनों तथा आंदोलन से ग्रहण किए गए थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरोध का, जो अहिंसात्मक रास्ता अपनाया , वह ब्रिटेन में पैस्सिव रिजिस्टेंस निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जाना जाता था। किसी उपयुक्त नाम के अभाव में गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन को "पैसिव रिजिस्टेंस" की संज्ञा ही दी थी जो कि उन पर पड़े पाश्चात्य आंदोलनों कि छाप प्रतीक थी[2]।जहाँ तक गांधी के सत्याग्रह की आत्मा का प्रश्न हैं, वह भी ईसाई धर्म- ग्रन्थों, बाइबिल तथा ब्रिटेन व दक्षिण अफ्रीका में मतांतरवलंबी ईसाई पादरियों की व्याख्याओं से प्रभावित थी[3]। गांधी ने ईसा मसीह को प्राणी-मात्र के प्रति प्रेम के

संदेश का देवदूत माना[4]। उनकी मान्यता थी कि ईसाई धर्म ने मानवता को अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया[5]।

(अ) रामरतन गांधीज़ कांसेप्ट ऑफ पोलिटिकल आब्लिगेशन , कलकत्ता : मिनर्वा एसोसिएट्स, 1972,पेज 162

(ब) रामरतन , प्राब्ल्म ऑफ पोलिटिकल आब्लिगेशन इन गांधीज़ पोलिटिकल चार्ट दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय

वे अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह को सेंट पॉल के मानव प्रेस कि अवधारणा के समरूप मानते थे। उन्होने यह बात सबसे पहले अपने संपर्क में आए ईसाई पादरियों से ही सीखी थी कि किसी भी समस्या का समाधान बदले कि भावना से नहीं हो सकता[6]। यदि हिंसा का मुक़ाबला हिंसा से किया जाएगा तो उससे हिंसा ही बढ़ेगी, समस्या का समाधान तो होगा नहीं[7]। वे यह भी मानने लगे थे कि हिंसा करने वाले का मुक़ाबला हिंसा से न करके अहिंसा से करना चाहिए , शत्रु का मुक़ाबला शत्रुता से न करके प्रेम और सद्भावना से करना चाहिए, जिससे कि शत्रु को मित्र बनाया जा सके[8]। गांधी कि सत्याग्रह कि अवधारणा पर रूसी शांतिवादी विचारक लियो टालस्टाय का भी गझरा प्रभाव पड़ा था । वह टालस्टाय के इस संदेश से बड़े प्रभावित हुए थे कि यदि घृणा करनी हो तो पाप से कि जाए , न कि पाप करने वाले से[9]। गांधी ने कर्ता कर्म में विभेद करना और अपने विरोध का निशाना कर्ता को न बनाकर कर्म को बनाना , टालस्टाय से ही सीखा था[10]।

टालस्टाय के लेखों तथा उनसे अपने पत्र –व्यवहार से गांधी अत्यंत प्रभवित हुए थे। टालस्टाय कि रचनाओं से भी गांधी ने ईसाई डीएचआरएम कि ही झलक देखी और उन्होने अपने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन में सदा कर्ता और कर्म , पापी और तथा अपराधी और अपराध में भेद किया ।उन्होने बुराई अथवा पाप को अपने विरोध का निशाना बनाया । इससे न केवल एक सत्याग्रही के रूप में वह स्वयं उसका विरोध कर सके बल्कि

उसके विरोधकि प्रक्रिया में अपने तथाकथित शत्रु अथवा विरोधी को न भी शामिल कर पाए जिसमें कि दोनों मिलकर असत्य, अन्याय, पाप तथा बुराई का डटकर मुक़ाबला कर सके[11]। गांधी टालस्टाय के इस कथन से भी अत्यंत प्रभावित हुए थे कि हिंसक युद्ध कि तरह अहिंसक युद्ध में भी योद्धों का समुचित शिक्षण व प्रशिक्षण होना चाहिए। सत्याग्रही को सत्याग्रह के साथ और साधनों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने कि उसे दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अपनी आत्मा के रूप में परमात्मा कि सत्ता में उनकी आस्था होनी चाहिए । यदि उसके प्रतिपक्षी अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जानबूझकर भड़काने वाली हिंसा का सहारा लिया जाए तो उसे उससे बचना और उसका प्रतिकार करना आना चाहिए ,साथ ही उसे ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। जिससे उसके और उसके विरोधी के बीच संघर्ष के अवसर कम होते जाएँ और परस्पर सहयोग बढ़ते जाएँ। ऐसा सब करने के लिए सत्याग्रहियों के समुचित प्रशिक्षण कि आवश्यकता पड़ेगी। इस बात के महत्व को समझते हुए गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टालस्टाय फॉर्म तथा भारत में साबरमती आश्रम जैसे प्रशिक्षण केंद्रों का आयोजन किया जिनके माध्यम से सत्याग्रहियों का समुचित शिक्षण –प्रशिक्षण होता था [12]। इन प्रशिक्षण स्थलों की रूपरेखा गांधी ने टालस्टाय के "यास्नाया पोलियाना " नामक प्रसिद्ध फॉर्म हाउस से ली थी,जिसका विस्तृत वर्णन स्वयं टालस्टाय ने गांधी को लिखे अपने पत्रों में किया था[13]। गांधी की सत्याग्रह की रणनीति पर अमरीका के नागरिक अधिकार आंदोलन कर्ता हैनरी डेविड थोरो का भी गहरा प्रभाव पड़ा था[14]। गांधी उनके "नागरिक अवज्ञा " विषय पर लिखे गए निबंध से अत्यंत प्रभावित हुए थे[15]। थोरो की तरह गांधी भी यह मानने लगे थे की एक सजग नागरिक को ऐसे किसी भी आदेश अथवा कानून को नहीं मानना चाहिए जो असत्य अथवा अन्याय पर आधारित हो तथा जिसे मानने के लिए उसकी आत्मा व विवेक गवाही न देते हो , चाहे उनका विरोध करने के लिए उसे कड़ी सजा भी क्यों न भुगतनी पड़े[16]। थोरो की तरह , गांधी भी यह मानते थे की असत्य व अन्याय पर आधारित राज्य अथवा समाज में रहने से तो अच्छा जेल में रहना , क्योंकि वहाँ उसे कानून व आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा[17]। करावास में उसकी आत्मा तथा विचारों का अनुसरण करने और उन्हें अभिव्यक्त करने से राज्य रोक नहीं पाएगा। पत्थर की

दीवारों और लोहे के दरवाजों में राज्य विरोध करने वाले के शरीर को तो बंद कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा और विचारों को नहीं[18]। थोरो की तरह, गांधी की भी ऐसी ही आस्था हो गयी और वह भी जेल को दंड का स्थान मानने के बजाए उसे अपनी साधना का एक ऐसा मंदिर मानने लगे जहां खुले समाज के मुक़ाबले में कहीं अधिक आत्मानुसरण करने तथा सोचने-विचारने का स्वतंत्र अवसर प्राप्त हो[19]।गाँधी वेस्टमिंस्टर वाली ब्रिटेन की शासन-पद्धति तथा उसके आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों से भी अत्यधिक प्रभावित थे।अपने प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अनुभव से वह यह जानते थे कि तथाकथित संसदीय जनतंत्र तथा कानून के शासन जैसे पवित्र राजनीतिक आदर्शों पर आधारित ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भी नागरिकों को अपने औचित्यपूर्ण अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ब्रिटेन जैसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अथवा उन्हें नागरिक अधिकार व स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए स्वयं, पहल नहीं करती[20]।इस प्रकार लोकमान्य तिलक की तरह, गाँधी भी यह मानने लगे कि अधिकार, दान अथवा भिक्षा में नहीं दिये जाते, उन्हें छिनना पड़ता है तथा उन्हें छिनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है[21]।यदि ब्रिटेन जैसे संसदीय जनतंत्र में भी, जिसमें चुनौती और परिवर्तन की असीमित संभावनाएं निहित होती हैं, नागरिकों को अपने औचित्यपूर्ण अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े तो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद वाली तथा भारत की विदेशी तथा सामंतवादी शासन व्यवस्थाओं में तो संघर्ष अवश्यंभावी होगा ही। यदि संघर्ष अनिवार्य है तो फिर ऐसा संघर्ष किया जाए जिससे समस्या का स्थायी समाधान हो सके और जिसमें जीवन और संपत्ति का नाश कम से कम हो[22]। ऐसे संघर्ष वैमनस्य, विद्वेष, बैर अथवा बदले की भावना तथा युद्ध और हिंसा के सहारे नहीं किया जा सकता। गाँधी विभिन्न क्षेत्रीय युद्धों तथा दोनों महायुद्धों की विभीषिका से भली भाँति परिचित थे। अपने इस ऐतिहासिक ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर, वह इस निर्णय पर पहुँचे कि हिंसा अथवा युद्ध से समस्या टल तो सकती है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं होता[23]।उसके लिए तो युद्ध के बाद भी तर्क व बातचीत का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। यदि समस्या का समाधान परस्पर बातचीत के रास्ते से ही संभव है तो पहल, युद्ध से न करके, बातचीत के रास्ते से ही की जाए और जब तक ऐसा हल न निकाल आए जो सभी पक्षों को स्वीकार हो, तब तक बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए[24]। गाँधी की मान्यता थी कि ऐसा करने

से आमतौर पर युद्ध की अवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, युद्ध की संभावनाएं टल जाएंगी[25]। गाँधी को अपने समय के पश्चिम देशों में हो रहे शांतिपूर्ण आंदोलनों का भी ज्ञान था। वह विशेषकर आयरलैंड की महिलाओं के अपने अधिकारों के लिए किए गए "सिन फिन " नामक आंदोलन से भी बहुत प्रभावित हुये थे। इस आंदोलन से उन्होने संगठन तथा एकता के महत्व को भलीभाँति समझा था। इससे उन्होने यह निष्कर्ष निकाला था कि सत्याग्रह को, अपने जैसे कुछ इने-गिने नेताओं के वैयक्तित्व आंदोलन के स्थान पर, एक ऐसे समूहिक तथा सार्वजनिक सत्याग्रह का रूप देना होगा जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, वे तो अवश्य ही जो स्वयं 'भुक्तभोगी' हों। उनकी यह मान्यता बनी कि जब सत्याग्रह ऐसे लोगों का जन-आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी[26]। वे अक्सर यह कहा करते थे कि भारत को स्वराज उस दिन मिल जाएगा जिस दिन स्वराज के संघर्ष में सम्पूर्ण भारत शामिल हो जाएगा[27]।दक्षिण अफ्रीका में रगभेद को समाप्त करने तथा भारत को स्वराज दिलवाने के लिए गाँधी ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिनहोने सत्याग्रह के आंदोलन को एक सुसंगठित जन-आंदोलन का रूप दिया, जिससे उसकी सार्थकता भी बढ़ी और उसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली[28]।इस प्रकार, गाँधी के सत्याग्रह की अवधारणा तथा रणनीति के प्रादुभाव विकास में पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, धर्मग्रन्थों, व्यवस्थाओं तथा विचारों का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव था। दूसरी तरह गाँधी के सत्याग्रह की अवधारणा तथा रणनीति के उद्भव और विकास में भारतीय संस्कृति , धर्मग्रन्थों, व्यवस्थाओं तथा विचारों का प्रभाव भी कम नहीं था[29]।वास्तविक तौर पर, गाँधी एक तरफ पूर्व तथा पश्चिम तथा दूसरी तरफ परंपरा तथा आधुनिकता के बीच एक ऐसे सेतु के रूप में उभरे जिस पर चलकर उनके नेतृत्व में न केवल दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के अन्याय से तात्कालिक मुक्ति प्राप्त की, बल्कि भारत में भी विदेशी तथा सामंतवादी शासन के असत्य को सदा के लिए धराशायी कर दिया[30]।

गाँधी को 'शांतिपूर्ण विरोध की राजनीति' का दार्शनिक माना जाता है। गाँधी के सामने मुख्य राजनीतिक प्रश्न था : यदि आमतौर पर कानून का पालन करने वाला नागरिक, या ऐसा नागरिकों का कोई समूह, किसी नीति, कानून अथवा आदेश की अवहेलना करने के लिए विवश हो जाए, यदि इसका पालन करने के लिए उसकी आत्मा व विवेक गवाही न दे, तो उसका

विरोध किस प्रकार करे ? गाँधी सभी समस्याओं व विवादों के निदान के लिए ऐसे साधनों की खोज में थे जो न केवल अहिंसक हो, बल्कि कारगर भी हो[31]।

सत्याग्रह के आधारभूत सिद्धान्त :-

गांधी विश्व –इतिहास से भली-भाँति परिचित थे। उनकी मान्यता थी कि दुनिया मेंहिंसा अथवा युद्ध से कभी किसी समस्या या विवाद का स्थायी समाधान नहीं हुआ[32]। युद्ध से समस्या कुछ समय के लिए टल तो जाती हैं, शक्तिशाली कमजोर को हराकर उससे जबर्दस्ती अपनी बात मनवा तो लेता हैं, लेकिन कोई ऐसा समाधान नहीं निकलता जो संबन्धित पक्षों को स्वेच्छा से स्वीकार्य हो। हिंसा ही बढ़ती हैं, समस्या का समाधान नहीं होता [33]। दूसरी ओर , गांधी कि मान्यता थी कि वास्तव में असली संघर्ष समरूप शक्तियों के बीच न होकर परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच होना चाहिए। हिंसा के विरुद्ध संघर्ष उसकी विपरीत शक्ति अहिंसा के द्वारा होना चाहिए[34] । अहिंसा ही हिंसा का अंत कर सकती हैं। गांधी के सत्याग्रह के इस आधार को ध्यान में रखते हुए सिमौन पैटरब्रिक इस निष्कर्ष पर पहुँची कि गांधी संघर्ष को तो स्वीकार करते हैं, पर हिंसा को नहीं [35]। इसी आधार पर के .एल श्रीधरानी ने गांधी के सत्याग्रह को "हिंसा –विहीन युद्ध " कि संज्ञा दी[36]। जहाँ गांधी कि अहिंसा में आस्था थी, वहाँ साध्य और साधन कि एकरूपता में भी विश्वास रखते थे[37]। उनकी मान्यता थी कि नेक साध्यों कि प्राप्ति नेक साधनों के द्वारा ही संभव हैं । हमारा साध्य उतना ही पुनीत होगा,जितने पुनीत उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन होंगे , क्योंकि गांधी के अनुसार:- साध्य को साधनों से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में साध्य , साधनों कि अंतिम कड़ी का ही नाम हैं[38]। इस प्रकार गांधी कि यह विचारधारा मैक्यावली कि विचारधारा के एकदम विपरीत हैं क्योंकि मैक्यावली का कहना था कि साध्य ही साधनों का औचित्य हैं। गांधी कर्म और कर्ता में भी समुचित विभेद करते हैं[39]। उन्होने अपने संघर्ष का लक्षय सदा बुराई को बनाया , न कि बुरों अथवा बुराई करने वालों को। उनकी मान्यता थी कि यदि हम उस व्यक्ति के जो किसी कारणवश हमारा विरोधी हो गया हैं, विरोध का कारण जान ले तथा उसे दूर कर सकें, तो संभवतः हमारा मित्र बन जाएगा[40]। गांधी टालस्टाय के इस कथन से सहमत थे कि यदि घृणा करनी हो तो पाप से करनी चाहिए, न कि पापी

से [41]। इसलिए विपक्षी को सताने, पीड़ित करने या उसकी हत्या करने के बजाय, उसके पाप से मुक्ति करनी चाहिए, जिससे उसका पाप समाप्त हो जाए, उसकी सोच बदल जाए , वह अपने विवेक व आत्मा कि आवाज के अनुसार चलने लग जाए, अपने पाप को पहचान ले और उसका साथ छोड़कर अपनी दैविक , तार्किक व सामाजिक प्रकृति का अनुसरण करके लग जाए। नेक इन्सान कि तरह जीवन – यापन करने लग जाए। ऐसा करने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वह अपराधी अथवा पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाएगा, प्रतिपक्षी से सहपक्षी और शत्रु से मित्र हो जाएगा [42]। गांधी के सत्याग्रह –दर्शन के उपरोक्त तीनों आधारभूत सिद्धांत कि मान्यताओं के आधार पर उन्होने अपने सत्याग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनसे ऐसे अहिंसक व कारगर साधन खोज निकले जिनसे विभिन्न संसयाओं व विवादों का स्थायी तथा स्वीकार्य हल निकाल सके[43]।

सत्याग्रह का उद्देश्य:-

सत्याग्रह किसी भी नैतिक दृष्टि से वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। अपने नकारात्मक रूप में, सत्याग्रह अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष है, और सकारात्मक रूप में जन-कल्याण तथा रचनात्म्क कार्यक्रम का एक मार्ग वास्तव में, सत्याग्रह ऐसे नैतिक अधिकार, स्वतन्त्रता व अवसर प्राप्त करने का एक साधन है जो राज्य को, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराने चाहिए [44]। यह ऐसा रास्ता है, जिसके द्वारा लोग अपनी शिकायतों कि सुनवाई करवा सकते हैं, उन्हें दूर करवा सकते हैं [45]।

यह विवदों व समस्याओं के अहिंसक तथा स्थायी समाधान का अचूक साधन है। यह उन वयवस्थों , नीतियों, क़ानूनों व आदेशों के उल्लंघन का एक विधि – सम्मत रास्ता है जिन्हें व्यक्ति कि आत्मा व विवेक स्वीकार न कर सके [46]। सत्याग्रह कानून कि अवहेलना करने के लिए नहीं किया जाता , लेकिन लगता ऐसा ही है। वास्तव में सत्याग्रही कानून के अवहेलना करने के बजाय उसके उन प्रावधानों की अवहेलना करता है जो अनैतिक हों [47]। यदि उनके स्थान पर नैतिक व औचित्य –पूर्ण प्रावधान बना दिये जाएँ तो न केवल स्वयं कानून कि गुणवत्ता बढ़ेगी , बल्कि लोग भी उन्हे बिना किसी भय , दबाव अथवा लालच के सहर्ष स्वीकार कर सकेंगे।इस

प्रकार , एक सत्याग्रही जो समान्यतःक़ानूनों का पालन करता है , वह सत्याग्रह के माध्यम से कानून में ऐसे संसोधनों की मांग करता है जिनसे वे अधिक औचित्य – पूर्ण तथा स्वीकार्य बन जाएँ। इस प्रकार वह तो राज्य का मित्र होता है , उसके शत्रु होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गांधी के विभिन्न सत्याग्रहों के अवलोकन से ऐसा लगता है कि उसका प्रयोग किसी भी ऐसे उद्देश्य कि प्राप्ति के लिए किया जा सकता है जो स्वार्थपूर्ण न होकर समाज के कल्याण के लिए हो। यह सामाजिक , राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन का एक सकारात्मक तथा सबल साधन है।

रिचर्ड ग्रैग के अनुसार – सत्याग्रह एक ऐसा त्रिपक्षीय दर्पण है , जिसमें एक ओर सत्याग्रही अपने आपको अपने विपक्षी की दृष्टि से देखता है दूसरी ओर , उसका विपक्षी अपने आपको सत्याग्रही की दृष्टि से देखता है तथा तीसरी ओर आम दर्शक सत्याग्रही व उसके विपक्षी का परस्पर रूप देखते हैं और निर्णय करते हैं कि कौन , कितना सही है और कौन कितना गलत है। इस प्रकार सत्याग्रह हृदय – परिवर्तन तथा जन-जागरण का एक सबल साधन है। इसके द्वारा सत्याग्रही अपने विपक्षी को सत्य और न्याय का रास्ता चुनने और असत्य व अन्याय का मार्ग त्यागने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने विपक्षी को यह भी समझाने का प्रयास करता है कि सताये जाने वाले के चाहे – अनचाहे सहयोग के बिना सताने वाला अपने उद्देश्य में सफल हो ही नहीं सकता । जहाँ सत्याग्रह अन्याय करने वाले का , अन्याय से पीछा छुड़ाकर , उसे न्याय के रास्ते पर लाने का प्रयत्न करता है , वहाँ वह सत्याग्रही का भी उद्धार करता तथा उसे महान बना देता है। जी. रामचंद्रन के अनुसार – गांधी ने सत्याग्रह के द्वारा न केवल अपने तथा कथित शत्रुओं को अपना सहपक्षी , सहयोगी तथा मित्र बना लिया , बल्कि स्वयं भी एक मामूली वकील से महात्मा बन गए। सत्याग्रह दर्शकों के जीवन की गुणवत्ता का भी विकास करता है । वह अपने समय की समस्याओं व विवादों के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करता है तथा उनके परस्पर गुणों – अवगुणों के बारे में उन्हें शिक्षित करता है , जिससे कि कोई यह निश्चित कर सके कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत । इस प्रक्रिया से , आम लोग भी भले – बुरे , सही – गलत तथा न्याय – अन्याय के बीच विभेद करना सीख जाते हैं और उसमें असीम सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता आ जाती है , भले ही वे अनपढ़ गँवार क्यों न हों । इस प्रकार से सत्याग्रह अत्याचारी , सत्याग्रही तथा सामान्य दर्शकों – सभी का समान रूप से उद्धार करता है , उन्हे जागरुक व

शिक्षित बनाता है और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ता है। इन सभी के लिए सत्याग्रह एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक तथा आत्मा की आवाज सुनकर सभी समस्याओं व विवादों का अहिंसक तथा स्थायी समाधान निकाल सकता है तथा एक ऐसे विकल्प पर पहुँच सकता है जो सभी संबन्धित पक्षों को स्वीकार्य हो।

सत्याग्रह की परिसीमा :–

गांधी का सत्याग्रह सम्पूर्ण तथा सर्वव्यापी है। इसका प्रयोग कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी प्रतिपक्षी के प्रति कर सकता है। यह वैयक्तिक रुप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी। अल्पमत , बहुमत के विरुद्ध इसका प्रयोग कर सकता है और बहुमत अल्पमत के प्रति। वास्तव में, यह एक ऐसी सामूहिक क्रिया है जिसका समाज को कोई भी पीड़ित वर्ग कर सकता है। गांधी के स्वयं के सत्याग्रह – आंदोलनों में से अधिकतर सामूहिक आंदोलन थे। दूसरी ओर, उनका 1940 का "वैयक्तिक सत्याग्रह" तथा उनके सत्रह उपवास वैयक्तिक सत्याग्रह के उदाहरण हैं। सत्याग्रह का प्रयोग किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन के प्रति किया जा सकता है इसका प्रयोग सत्याग्रही अपने निकटतम तथा प्रियतम के प्रति भी कर सकता है।

यदि सत्याग्रह में प्रतिपक्षी सत्याग्रही का निकटतम अथवा प्रियतम हो तो सत्याग्रह में सफलता की संभावना अधिक रहती है , क्योंकि प्रियतम प्रतिपक्षी सत्याग्रही से सबंध नहीं तोड़ना चाहेगा और वह स्वयं भी किसी ऐसे विकल्प पर पहुंचने का प्रयत्न करेगा जो उसे और सत्याग्रही - - दोनों को स्वीकार्य हो। सत्याग्रह का प्रयोग न केवल अत्याचारी सरकार अथवा उसके काले क़ानूनों के विरुद्ध किया जा सकता है , बल्कि सामाजिक वयवस्थाओं व परिपाटियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है , क्योंकि वे भी काले कानूनों की तरह दोषपूर्ण अथवा अन्याय पर आधारित हो सकते हैं।

लेकिन गांधी का वास्ता कभी किसी प्रतिपक्षी सत्याग्रही से नहीं पड़ा , संभवतः इसलिए कि उनके प्रतिपक्षीयों में कोई ऐसा था ही नहीं। गांधी के सत्याग्रह का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जो, निजी न होकर सामूहिक व सार्वजनिक हित के हों क्योकि सत्याग्रह में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह तो केवल समान हितों की प्राप्ति के लिए ही किया जा सकता है

(सत्याग्रह का प्रयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जा सकता है , जिनमें किसी से कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जो अनैतिक अथवा अन्याय पूर्ण हो। सिमौन पैंटरब्रिक के अनुसार – गांधी ने स्वयं सत्याग्रह का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जिनमें सरकार ने ऐसे कानून अथवा आदेश जारी किए जो लोगों को अनुचित , अनैतिक अथवा अन्यायपूर्ण कार्य करने को उकसाते थे। जब –जब सरकार ने लोगों को भड़काने वाले आदेश जारी किए या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाए, तब-तब ऐसे कुकृत्यों का विरोध करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह-आंदोलन का सहारा लिया।

सत्याग्रह संचालक की योग्यताएँ :-

गांधी यह मानते थे की सत्याग्रह का प्रयोग अपने विवेक और आत्मा का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सत्याग्रह – आंदोलनों में सक्रिय भाग ले सकता हैं। लेकिन जहाँ तक सत्याग्रह आंदोलन के संचालन का प्रश्न है, गांधी यह मानते थे की यह कार्य ऐसे सुयोग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिसकी सत्याग्रह के आधारभूत सिद्धांतों में आस्था हो, सत्याग्रह साधनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा जिसे सत्याग्रह का प्रत्यक्ष अनुभव हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी ने स्वयं एक आदर्श सत्याग्रही की योग्यताओं तथा गुणों का वर्णन किया हैं। जो निम्नलिखित है।

1. वह या तो स्वयं मुक्तभोगी हो या मुक्तभोगियों का आधिकृत प्रतिनिधि हो ;

2. उसकी सत्य तथा अहिंसा में मन , वचन, कर्म से आस्था हो;

3. वह गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ-सा हो,अथवा सुख-दु:ख ,हार–जीत जैसी परिस्थितियों में विचलित होने वाला न हो ;

4. वह समान्यतः कानून का पालन करने वाला नागरिक हो;

5. वह जागरूक ,अनुशासनशील तथा सत्याग्रह के सिद्धांतों तथा रणनीति में पूर्णत: प्रशिक्षित हो;

6. वह दयाभाव , परमार्य तथा भद्रता से ओत-प्रोत हो तथा लोभ ,मोह,कम,क्रोध , लालच, घमंड तथा असत्य से पासे हो;

7. वह अपने तथा अपने विरोधी के परस्पर पक्षों के गुणों-दोषों का सामूहिक रूप से विश्लेषण करे,किसी से कुछ छुपाए नहीं और जैसे ही उसे अपनी गलती का बोध हो जाए,उसे मनाने ,दूर करने व सुधारने के लिए तत्पर रहे;

8. वह आत्मा ,विवेक ,वाद –विवाद , आत्म-पीड़न व आत्म-बलिदान के मार्ग पर चलकर एक ऐसे विकल्प की खोज में हो जो अंततः सभी को स्वीकार्य लगे;

9. वह अपने प्रतिपक्षी की कमजोरी या मजबूरी का अनुचित फायदा उठाने का प्रयास न करे;

10. वह ऐसे कोई कदम न उठाए जो सत्याग्रह के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत हो।

सत्याग्रह की रणनीति :-

गांधी को अहिंसक विरोध की राजनीति का मुख्यतः उनकी सत्याग्रह की रणनीति के संदर्भ में दार्शनिक माना जाता हैं। गांधी ने सत्याग्रह की परिकल्पना कायरता तथा हिंसा के विकल्प के रूप में की थी। वे चाहते थे की सभी समस्याओं तथा विवादों का समाधान आत्मा तथा विवेक के आधार पर हो, बातचीत के रास्ते से हो और यदि आवश्यकता पड़े तो आत्मपीड़न और आत्म बलिदान के रास्ते से हो ,न की आत्मपीड़न विपक्षी अथवा प्रतिपक्षी को सताकर, मारकर अथवा उसकी कमजोरी या मजबूरी का फायदा उठाकर। इस प्रकार , गांधी के सत्याग्रह में जनतंत्र के सांविधानिक तथा विधिसम्मत रास्ते सदा खुले रहते हैं और उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता हैं। यही न्याय और बुद्धिमता का तकाजा हैं। इसके बिना जनतंत्र की रक्षा तथा पोषण नहीं हो पाएगा।

सांविधानिक साधनों का प्रयोग

गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलनों से पूर्व निम्नलिखित सांविधानिंक उपाय अपनाए :-

1. प्रतिज्ञा तथा सावधानी;
2. सार्वजनिक जाँच द्वारा तथ्यों का सकंलन ;
3. पद यात्रा
4. पंच-निर्णय
5. सांप्रदायिक सौहार्द तथा एकता;
6. राजनीतिक सगठनों का गठन व पोषण;
7. विरोध सभाएँ तथा जुलूस ;
8. सत्याग्रह आश्रमों के माध्यम से सत्याग्रहियों का समुचित प्रशिक्षण ;
9. सत्याग्रह प्रतिज्ञा ;
10. ईश्वर की पूजा -अर्चना
11. अंतिम चेतावनी।

सत्याग्रह के साधन :-

गांधी की राजनीति विज्ञान को अनूठी देन सत्याग्रह के उन सबल साधनों की खोज तथा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण हैं, जिनके द्वार कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा व विवेक का अनुसरण करते हुए असत्य व अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर द्सकता हैं। अपने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के सत्याग्रह –आन्दोलनों में ऐसे अनेकानेक साधनों का प्रयोग तथा परीक्षण करके गांधी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि इनका प्रयोग करना किसी भी आम आदमी के लिए संभव हैं, बशर्ते कि वह अपनी आत्मा व विवेक का अनुसरण करने वाला हो। इनमें से किसी भी साधनों का प्रयोग समस्याओं व विवादों के समाधान के लिए किया जा सकता हैं। सत्याग्रह साधनों की प्रकृति के संबद्ध में गांधी ने तीन बातों पर मुख्य रूप से ज़ोर दिया। जो भी साधन अपनाए जाएँ वे संबन्धित साध्य के अनुकूल हो-

1. सत्याग्रह में जिन साधनो का प्रयोग किया जाएँ वे अहिंसक हो ;
2. सत्याग्रह साधनो का चयन, समय और परिस्थितियो के अनुकूल होना चाहिए।

उपर्युक्त तीनों अनिवार्य शर्तो की कसौटी पर खड़े उतरनेवाले किसी मी समुचित साधन का प्रयोग सत्याग्रह में किया जा सकता है। ऐसे जिन साधनों का प्रयोग गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में किया ।उनका रचनात्मक तथा आक्रमक साधनों में इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है।

रचनात्मक साधन :-

गांधी के सत्याग्रह के रचनात्मक साधनों में से सर्वप्रमुख निम्न –

1. प्रतिबंधित विरोध,सभाओ, प्रदर्शनों व जुलूसों का आयोजन;

2. सांकेतिक यात्रा;

3. राष्ट्रीय दिवसो तथा सप्ताहों का आयोजन ;

4. विचार-पत्रों व पत्रिकाओ का प्रकाशन;

5. रचनात्मक कार्यक्रम;

आक्रामक साधन :-

1. हड्ताल;

2. स्ट्राइक;

3. बहिष्कार ;

4. रास्ता रोको आंदोलन;

5. सरकारी भंडरों पर अहिंसक छापे;

6. विरोधस्वरूप पद त्याग ;

अति-आक्रामक साधन ;-

1. सविनय अवज्ञा ;
2. अहिंसक असहयोग ;
3. कर देने से इन्कार करना ;
4. जेल भरो आंदोलन ;
5. उपवास

गांधी का यह निश्चित विचार था कि किसी भी शासन –व्यवस्था के तीन आधार-स्तंभ होते है। जनता द्वारा सरकार का कानून का पालन ,करना सरकार के साथ सहयोग करना तथा उसे शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए समुचित कर देना। यदि एक-एक करके इन तीनों आधारशिलाओं को गिरा दिया जाए तो कोई भी शासन व्यवस्था चाहे वह कितनी भी सुदृढ़ क्यों न हो, गिर ही जाएगी। इस मान्यता के आधार पर गाँधी ने सविनय अवज्ञा, आहिंसक असहयोग तथा कर न देने के अति आक्रमक साधनों का प्रयोग क्रूर व विदेशी ब्रिटिश सरकार के पतन के लिए किया और अपने इस प्रयास में उन्हे अदभूत सफलता भी मिली । गांधी के सत्याग्रह की रणनीति में उपवास को सबसे अंतिम व सबसे अधिक कारगर साधन माना गया हैं। उनके अनुसार – इसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जब सभी सांविधानिक तथा सत्याग्रहिक साधन असफल हो जाएँ और कोई अन्य रास्ता दिखाई न दे । इसका प्रयोग कभी-कभार और अंतिम अस्त्र के रूप में ही करना चाहिए। उपवास आत्मशुद्धि के लिए भी किया जा सकता हैं। और अपने प्रतिपक्षी की आत्मा तथा विवेक से अपील करने तथा उसे इसके अन्याय के प्रति जागृत करने के लिए भी । उपवास सांप्रदायिक वैमनस्य को दूर करने, सांप्रदायिक दंगों तथा हिंसा की अन्य घटनाओं को रोकने के लिए भी किया जाता हैं । यहाँ उपवास में सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्याग्रही को त्याग की भावना, न की अपने प्रतिपक्षी पर दबाव डालने की।

उपवास की सफलता के लिए यह आवश्यक है की इस कार्य को उस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जिसका समाज में अपना नैतिक स्थान हो तथा जो उपवास –क्ला में निपुण हो। ऐसे

व्यक्ति के द्वारा भी उपवास केवल उतनी अवधि के लिए किया जाना चाहिए , जितनी अवधि के लिए उसमें उसे बर्दाश्त करने की क्षमता हो। इसका प्रयोग केवल आत्मा की आवाज के उत्तर में ही किया जाना चाहिए।

गांधी के सत्याग्रह आंदोलन : –

गांधी जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सत्याग्रह आंदोलनों में रचनात्मक तथा आक्रामक साधनों का प्रयोग करते हुये कुल 31 सत्याग्रह आंदोलन में समर्थन किया। उन्होने अपने सत्याग्रह-आन्दोलनों के द्वारा असत्य, अन्याय, अनौचित्य तथा भेद-भाव के विरुद्ध सतत संघर्ष किया। इन सत्याग्रहों के फलस्वरूप वे न केवल अपने प्रतिपक्षी का हृदय जीत पाये, असत्य व अन्याय के विरुद्ध उनके विवेक व आत्मा से अपील कर पाये और अहिंसा से उन्हें सत्य व न्याय के मार्ग पर वापस लाने में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली, बल्कि आम लोगों का भी जन कल्याण हुआ। उन्हें न केवल अपने समय के विवादों की जानकारी मिली, बल्कि उनके समाधान के कारगर साधन भी ढूँढ निकले । गाँधी के सत्याग्रह आंदोलन से जन-जागरण व जन- शिक्षण हुआ और भोले-भले साधारण, अशिक्षित व गरीब लोग भी आम स्तर से ऊपर उठकर सत्याग्रही बन गए। इसके अटरिक्त गाँधी स्वयं एक मामूली, बैरिस्टर से महात्मा बन गए। इस प्रकार गाँधी औए सत्याग्रह दोनों के परस्पर आंदोलनो के उपयुक्त वर्णन से निष्कर्ष यह निकलता है कि सत्याग्रह जिसने गाँधी को महात्मा बना दिया। इस प्रकार सत्याग्रह से किसी की हानी नहीं होती, सबका मंगल व कल्याण ही होता है।

इससे न केवल प्रतिपक्षी सत्य, न्याय व औचित्य के रास्ते पर लौट आता है,बल्कि आम लोगों का जागरण व शिक्षण भी होता है। स्वयं सत्याग्रही अपनी आत्मा व विवेक का अनुसरण करके अपने आपको आम स्तर से ऊपर उठकर महान बना लेता है। उसकी आत्मा महान हो जाती है।

इस प्रकार, गाँधी की सत्याग्रह की अवधारणा व रणनीति के उपर्युक्त उल्लेखय से यह स्पष्ट होता है कि इसमें न केवल परंपरा तथा आधुनिकता का बल्कि पूर्व तथा पश्चिम का भी एक अनूठा समंजस्य है। इससे गाँधी की विशिष्ट समान्यवादी प्रकृति प्रदर्शित होती है। यदि गाँधी ने

इंग्लैंड से बैरिस्टरी की परीक्षा पास न की होती, यदि उन पर पश्चिम की संस्कृति, सभ्यता, धर्मग्रंथों, व विचारों का प्रभाव न पड़ा होता, यदि वह वहाँ की व्यवस्था, प्रक्रिया व परम्पराओं से परिचित न होते और यदि दक्षिण अफ्रीका में रगभेद तथा अन्याय से साक्षात्कार न हुआ होता तो शायद सत्याग्रह का प्रादुर्भाव भी न हुआ होता। और, यदि हुआ भी होता तो उसका क्या रूप होता, इसका अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। उस स्थिति में स्वयं गाँधी की भूमिका क्या होती और कितना महत्वपूर्ण होती, उनका योगदान क्या और कितना होता और क्या वे फिर भी एक साधारण व्यक्ति से महात्मा और राष्ट्रपिता की पदवी प्राप्त कर पते या नहीं इन सबका अनुमान लगाना अत्यंत मुश्किल है।

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी का कार्य :-

गाँधी जी अपने बैरिस्टरी अध्ययन क्रम में विलायत के एक ईसाई सज्जन से संपर्क में आकर बाइबिल और गीता की तुलना करके, फिर अपने तरीके से आध्यात्मिक व सामाजिक स्तरों पर अपने प्रयोग करने लगे, जिससे जिससे उनका नैतिक स्तर दिनों दिन ऊंचा उठता गया। भारत लौटने के बाद गाँधीजी जी ने कुछ ही महीने बाद पोरबंदर की एक फर्म से अफ्रीका जाने का निमंत्रण मिलने के बाद अप्रैल 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए जहां उन्हें पग-पग पर गोराशाही और रंगद्वेष का सामना और इस बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ी। सत्याग्रह का विचार गाँधी को टालस्टाय के अध्ययन और अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा से मिला। कस्तूरबा को गाँधी द्वारा गुस्से से घर से निकालने पर वह घर के दरवाजे पर धारना देकर उलाहना में स्वरूप बोली थी, तुम्हें शर्म नहीं, मुझे तो है, मैं अपना घर छोडकर नहीं जाऊँगी। तुम मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते। गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का उल्लेखय करते हुये कस्तूरबा को अपने सत्याग्रह के विचार की प्रेरणा देने वाली अपनी गुरु कहा है। दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी ने एक सभा में उपस्थित लोगों से कहा, आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लदनी होगी। गाँधी के भारत लौटने के क्रम में विदाई-समारोह में उपस्थित लोगों के अनुरोध पर लड़ाई का नेतृत्व स्वीकार करके उसी रात धारा सभा में भेजने के लिए एक अर्जी तैयार करके फंड जमा किया गया, स्वयंसेवक भर्ती कर 15 दिन में अर्जी के लिए दस हजार हस्ताक्षर जुटाये गए जिसका वांछित प्रभाव पड़ा। उपनिवेश मंत्री लार्ड रिवन द्वारा रंगभेद संबंधी बिल अस्वीकार करने पर गाँधी के

सुझाव पर 1894 ई. नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई और आदिकारों के लिए आंदोलन चलाये जाने लगे। इस तरह दक्षिण अफ्रीका गाँधी जी के सामाजिक-राजनैतिक कार्यों व हलचलों का केंद्र बन गया। 1896 में गाँधी जी भारतीय नेताओं की सहता से तथा पत्रों, पुस्तिकाओं, सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में आंदोलन चलते रहे। दक्षिण अफ्रीका लौटने के क्रम में गाँधी जी पर गोरों का आक्रमण पर प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त विरोध हुआ जिसका प्रभाव इंग्लैंड तक पड़ा।उपनिवेश मंत्री ने नैटाल सरकार को टतार देकर गाँधी जी को न्याय दिलाने की सिफ़ारिश की। दक्षिण अफ्रीका में दुबारा अपना काम समाप्त कर गाँधी जी जब स्वदेश रवाना हो रहे थे, कस्तूरबा से संबन्धित उस समय की एक घटना महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों की बहुमूल्य सेवा के बदले विदाई के समय भारतीयों ने गाँधी जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट में दी। गाँधी जी ने कहा, 'इन सब चीजों को स्वीकार करने का मुझे क्या हक है?' मैं सेवा का कोई मूल्य नहीं ले सकता। पर कस्तूरबा को दिया गया हार लौटाते हुये वह बिफर पड़ी, मुझे न पहनने दो, पर मेरी बहुओं का क्या होगा? अपने लिए स्वयं तो कुछ रखा नहीं, भेंट की भी चीजें मेरे लड़कों-बहुओं के लिए न रखकर उन्हें लौटना कौनसी बुद्धिमानी है? और मेरे हार पर आपका क्या आदिकार है?

गांधी जी ने पूछा , 'पर यह तुम्हारी सेवा के बदले में मिला हैं या मेरी सेवा के ?' 'कस्तूरबा का उत्तर था, 'मुझसे रात-दिन जो मजदूरी कारवाई, मुझे रुलाकर भी हर किसी को घर में ठहराया और उसकी चाकरी कारवाई,क्या वह मेरी सेवा सेवा नहीं ? लेकिन गांधीजी तो अपने सिद्धान्त के पक्के थे। अत: कस्तूरबा को मानना पड़ा और मिली हुई सारी भेंटे लौटा दी गई।

1901 में गांधी के दक्षिण आफ्रिका से भारत आगमन पर भारत में गांधी-नेतृत्व की शुरुआत हुई। तथा इस वर्ष के कॉंग्रेस-अधिवेशन में शामिल होकर अपनी विलक्षणता से लोगो को प्रभावित किया। इस अधिवेशन के बाद उन्होने देश का भ्रमण कर प्रमुख नेताओं, एएम लोगों से भेट कर स्वयं को देश की दशा व राजनीति से अपने को अवगत कराया। इस क्रम में पुन: दक्षिण अफ्रिका के बुलाव पर जाना पड़ा। ट्रांसवाल में भारतियों के प्रवेश पर रोक संबंधी कानून , गिरमिटिया-मुक्त भारतियों पर अनुचित सालाना टैक्स तथा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए उन्होने सितंबर 1906 में भारतियों की एक सभा बुलाकर जन-आंदोलन छोड़ दिया और

सत्याग्रही टोलियाँ ट्रांसवाल में प्रवेश करने लगी इसी समय भारतीय महिलाओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया।

1.2 दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में भारतीय महिलाओं की भूमिका :-

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह (1906-1919) आंदोलन गाँधी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों से संबंधित दो प्रकार की समस्याओं पर आधारित थी। प्रथम आधार जातीय भेदभाव पर आधारित- जैसे योरोपियन गोरे लोग और एशिया के काले लोग उनके प्रश्न। भारतीय लोग रेल की प्रथम वर्ग से सफर नहीं कर सकते थे। स्वयं गाँधी जी को मॉरिट्झबर्ग स्टेशन के प्लेटफार्म पर गाड़ी के डिब्बे से फेक दिया था। चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग जाने के क्रम में गाँधी जी की सिकरम में अपमानजनक पिटाई का सामना करना पड़ा था। यूरोपियन लोगों के लिए चलाये जाने वाले होटलों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध था यूरोपीय लोगों की भाषा में कुली मतलब गेदे और असभ्य कहा जाता था और स्वयं गाँधी जी इस प्रकार के भेदभाव के शिकार थे और गाँधी जी को 'कुली बैरिस्टर' कहा जाता था। इस तरह से गोरों के समुदाय द्वारा सभी मामलों में प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया जाता था। उपरोक्त समस्याओं के संबंध में गाँधी जी ने पिटोरिया पहुँच कर स्थानीय भारतीयों के सभा को संबोधित किया और उनके समस्याओं के लिए अपनी सेवा देना का स्वीकार किया।

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों से संबंधित समस्याओं का दूसरा आधार था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के बारे में –

1. तीन पौण्ड का कर।
2. एशियाटिक पंजीकरण कानून (काला कानून)
3. ट्रांसवाल इमिग्रेन्टस रेस्ट्रीकशन कानून।
4. दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यालय की 'बाई मरियम' केस में दिया गया निर्णय।

(अ) तीन पौण्ड का कर -

दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों की काफी कमी थी। सन 1960-1890 तक करीब चालीस हजार मजदूरों को यूरोपियन भूस्वामियों द्वारा करार पर दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था। करार के अनुसार उन्हें पाँच साल के बाद इस प्रकार के मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में स्थायी होने की छुट दी जाएगी और वहाँ जमीन खरीदी करने का भी अधिकार प्राप्त हो सकता था। प्रवासी भारतीय अधिकांश करारनामों की मियाद समाप्त होने के बाद वहीं बस गए और खेती या व्यपार करने लगे। इस प्रकार यूरोपियन लोग और दक्षिण अफ्रीका में बसे हुये भारतीय लोगों की व्यवसायिक स्पर्धा होने लगी इसलिए गोरे शासकों ने भारतीयों पर कई पाबन्दियाँ और भरी कर लगाए जैसे – मतदान के अधिकार, नागरिक अधिकार बहाल नहीं करना और तीन पौण्ड का कर। एक चार लोगों का परिवार जिन्हें अधिकतर 14 शिलिंग प्रति मास मिलते थे उन्हें 12 पौण्ड कर प्रति वर्ष देना पड़ता था। एक परिवार का उत्पन्न 14 शिलिंग *12=168 शिलिंग (168शिलिंग = 168/20 = 8.4 पौण्ड) और उन्हें एक वर्ष का कर (3 पौण्ड प्रति व्यक्ति) प्रत्येक चार व्यक्ति को 12 पौण्ड देना था। 8.4 पौण्ड की कमाई पर 12 पौण्ड कर देने के बाद पेट की भूख मिटाने के लिए प्रवासी भारतीय लगातार कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। इसलिए गाँधी जी ने इन समस्याओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया।

(ब) एशियाटिक पंजीकरण कानून (काला कानून) –

एशियाटिक रजिट्रेशन कानून 1907 को ट्रांसवाल परलियामेंट ने 21 मार्च 1907 को पास किया और इसके बाद 1 जुलाई 1907 से लागू होने वाला था। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को 31 जुलाई 1907 से पहले अपना पंजीकरण करना था। पंजीकरण करने में असमर्थ रहने वाले को निर्धारित समय से पूर्व ट्रांसवाल छोडने का प्रावधान किया गया था।

(द) ट्रांसवाल आप्रवास प्रतिबंधक कानून –

जनरल स्मट्स द्वारा 1907 में ही दूसरा एक और विधायक लाकर ट्रांसवाल आप्रवास प्रतिबंधक कानून पास किया। इस कानून द्वारा ट्रांसवाल में नए भारतियों को प्रवेश प्रतिबंधित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि दक्षिण अफ्रीका के कानून में ईसाई धर्म के अनुसार हुये विवाह के सिवा --- विवाह अधिकारी के ऑफिस में रजिस्टर कराये हुये विवाह के सिवा ----- दूसरे किसी विवाह के लिए स्थान नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि, हिन्दू, मुस्लिम, पारसी आदि धर्मों की विधि के अनुसार विवाह न्यायाधीश के उपयुक्त भयकर निर्णय से दक्षिण अफ्रीका में रद्द माने गए और इसलिए उस कानून के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में असंख्य विवाहित हिंदुस्तानी स्त्रियॉं का दरवाजा अपने पतियों की धर्म पत्नी न रहकर उपपातनियों का हो गया तथा उन स्त्रियॉं की संतान को अपने पिता की विरासत पाने का भी अधिकार नहीं रह गया। इस स्थिति को न तो स्त्रियाँ सहन कर सकती थीं, न पुरुष सहन कर सकते थे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की उपरोक्त समस्याओं के विरोध में गाँधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसे सर्वप्रथम 'पेसिव रेसिस्टेंस' कहा गया। बाद में गाँधी ने पूरी सोच और विचारधारा व्यक्त करने की दृष्टि से सत्याग्रह शब्द पसंद किया। सत्याग्रह यानि अहिंसा के जरिये सत्य का आग्रह। इसका उद्देश्य है, स्वयं कष्ट सहन करके उनके द्वारा प्रतिपक्ष का हृदय परिवर्तन करना। कस्तूरबा को प्रारम्भ में गाँधी ने महिला-जत्थे में शामिल नहीं किया जिसका परिणाम यह निकाला की वह गाँधी जी को विश्वास में लेकर अनुमति पाकर महिलाओं के दूसरे जत्थे का नेतृत्व संभाला। इस तरह आजादी की अगली लड़ाई के लिए कस्तूरबा का प्रारम्भिक प्रशिक्षण भी वहीं हुआ और गाँधी जी को भी शायद वहीं से यह अहसार हुआ की देश की आधी शक्ति स्त्रियॉं को साथ लिए बिना भारत की आजादी का सपना पूरा नहीं होगा। बाद में गाँधी जी के आह्वान पर भारत की हजारों-हजार पढ़ी-बेपढ़ी स्त्रियॉं जिनहोने इसके पूर्व घर की देहरी भी नहीं लांघी थी, किस तरह पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, इसका एक लंबा इतिहास है इस इतिहास को बनाने में दक्षिण अफ्रीका की प्रवासी भारतीय महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। गाँधी जी के दक्षिण अफ्रीका जाने से पूर्व भारतीय 40 वर्ष से अफ्रीका में बस रहे

थे। लेकिन अन्याय,अपमान-भरी गिरमिटिया-प्रथा के आलवा भारतीयों पर जुल्म की ऐसी घटना दक्षिण अफ्रीका में पहले नहीं घटी थी, जिससे की भारतीय स्त्रियाँ व बच्चे बुरी तरह प्रभावित हुये हो। भारत में हिन्दू विवाहों का कानूनी रजिस्ट्री करने का रिवाज कभी नहीं रहा, क्योंकि भारत में विवाह एक सम्झौता के स्थान पर पवित्र बंधन समझा गया, इसलिए विवाह धार्मिक क्रिया द्वारा सम्पन्न करना ही प्रायप्त समझा गया। दक्षिण अफ्रीका में चार दशक पूर्व से बसे हिंदुस्तानियों के लिए भी अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी यही प्रथा मान्य थी, लेकिन उन दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अपने एक फैसले से स्थिति पलट दी। आदेश हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के कानून में वही विवाह जायज माना जाएगा, जो ईसाई धर्म की रीति से समपन्न हुआ हो और जिसकी कानूनी रजिस्ट्री भी हो। इस निर्णय से भारतीय हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि विभिन्न धर्मों की विधि से विवाह वहाँ रद्द हो गए। विवाहित भारतीय महिलाओं का दर्जा अपने पति की धर्मपत्नी का न रह कर, रखैल का हो गया व उनकी संतान पिता को विरासत से वंचित हो गई। इससे प्रवासी कारवाई और उसके नामंज़ूर होने पर सत्याग्रह की तैयारी शुरू कर दी। विदेशी शासन का भारतीयों के गृह-जीवन में यह अनुचित हस्तक्षेप असहाय था, तो अब सत्याग्रह में स्त्रियॉं का शामिल होना भी रोका नहीं जा सकता था। गाँधी ने पाले टालस्टाय फर्म की स्त्रियॉं को आमंत्रित कर अपने हकों की लड़ाई में शामिल होने के बारे में सभी प्रकार के उंच-नीच, खाने, पीने, सोने-बैठने, जेल की मशक्कत और अपमान सहन के संबंध में बता दिया, लेकिन पहले से अपमानित भारतीय स्त्रियाँ इस आदेश के बाद दुख और क्रोध के आवेश में उबल कर बेचैन थी जिसको राह देने की अवश्यकता थी। सत्याग्रह के पहले जत्थे में 11 महिलाएं शामिल हुयी – श्रीमति थंबी नायडू, श्रीमति एन.पिल्ले, श्रीमति के.मूरगैसा, श्रीमति ए.पी. नायडू, श्रीमति पी.के.नायडू, श्रीमति चिन्वासी पिल्ले, श्रीमतिएन.एस.पिल्ले, श्रीमति मुदलिंगम, श्रीमति एम.पिल्ले, श्रीमति एम.डी. पिल्ले और श्रीमति भावनीदायल। इन 11 में से 10 तमिल महिलाएं थी और 6 की गोद में बच्चे थे। इन सभी ने बिना अनुमति के प्रांसवाल में प्रवेश कर सड़क पर फेरी की, पर पुलिश नें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अब स्त्रियॉं के सामने सवाल खड़ा हो गया कि वे किस तरह अपने को गिरफ्तार कराएं। गांधी जी ने फैसला किया कि ट्रांसवालों में दाखिल होकर गिरफ्तार होने का प्रयत्न विफल हो जाने पर उन्हें ट्रांसवाल से नैटाल में दाखिला कराया जाए और नैटाल में भी पुलिस न पकड़े तो बहनें नैटाल कि कोयला- खानों के केंद्र में जाकर वहाँ के

गिरमिटिया मजदूरो से कोयला-खानों से बाहर निकल जाने का अनुरोध करें। इससे मजदूरों से ज्यादा जोश पैदा और मजदूरों कि गिरफतारी के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़ाई के अंतिम चरण में गांधीजी ने फीनिक्स फॉर्म में रहने वाले गुजराती भारतीयों में से 16 साल से नीचे के लड़के-लड़कियों और अखबार चलाने वाले कुछ थोड़े से आदमियों को बाहर छोड़कर, शेष सभी को सत्याग्रह में शामिल कर जेल भेज देने का विचार बनाया। बहनों को अपना सही नाम व पता ठिकाना न बताने की सलाह दी गई। फिनिक्स की बहनों का जेल जाने के पहले अवसर पर गांधी जी को अपने रिश्तेदार महिलायों से यह भी भय था। कि कहीं उनकी लाज रखने के लिए ही जेल जाने की बात सोच लें और परीक्षा के समय कष्टों से घबरा कर पीछे हट जाएँ तो उनके पूरे सत्याग्रह को धक्का पहुँचेगा और कस्तूरबा के साथ भी इसी प्रकार का भय था लेकिन बाद में पता चला की इस प्रकार का भय निराथार था और फिनिक्स फॉर्म की सभी बहनें हकों की लड़ाई में जी–जान से जुटने के लिए तैयार थीं। कस्तूरबा गाँधी के नेतृत्व में तैयार हुए महिलाओं के दूसरे जत्थे में कुल 16 महिलाएँ थी- कस्तूरबा,श्रीमति जया कुवर मणिलाल (डॉक्टर) श्रीमति काशी छगनलल गाँधी, श्रीमति संतोष मगनलाल गाँधी , श्रीमति रुरत्म जीवन धोररवोदु, श्रीमतिछगनलाल खुशहाल चंद गाँधी , श्रीमति हरिभाई पटेल , श्रीमति रावजी भाई मणिलाल पटेल, श्रीमति सालोमन रायपन, श्रीमति रामदास मोहनदास गाँधी, श्रीमति राजगोविंद, श्रीमति शिवपुजन बद्रि , श्रीमति गोविंद राजुलू , श्रीमति कुप्पुस्वामी मुदालियर , श्रीमति गोकुलदास हंसराज और श्रीमति रेवाशंकर रतनशी सोढ़ा। ट्रांसवाल में दाखिल होकर पुलिस को अपना परिचय ना बताने पर इस जत्थे को गिरफ्तार कर मुकदमा चला और सभी को तीन-तीन महीने की कड़ी कैद की सजा मिली। तमिल बहने पुनः बिना परमिट नैटाल में दाखिल होने पर भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया , तो वे पूर्ण योजनानुसार न्यू कैसल पहुँचकर कोयला – खानों के मजदूरों को भड़काने से गहरा प्रभाव हुआ तथा सरकार द्वारा गिरफ्तार कर तीन-तीन महीने की कड़ी कैद की सजा मिली। गिरफ्तारी का समाचार सुनकर डरबन की एक मुस्लिम महिला बाई फातिमा अपनी माँ हनीफ़ा बाई और अपने सात वर्ष के बच्चे के साथ गिरफ्तारी दी। दूसरी तरफ गिरमिटिया-मुक्त लोगों पर भी टैक्स के विरोध में गाँधी जी के आह्वान पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। परिवार-के –परिवार घरों से निकाल आए और तीन हजार स्त्रियों , पुरुषों, बच्चों का काफिला पैदल मार्च करके ट्रांसवाल की ओर बढ़ चला। इस क्रम में सर्दी से बच्चे की मृत्यु,

भोजन की समस्या का सामना स्त्रियों को करना पड़ा। लेकिन स्त्रियाँ 'संतोषम ' कहकर सबको दिलासा दिए रहती थी। अंतिम विजय तक उन्होने गाँधी जी का साथ नहीं छोड़ा। दोनों जत्थों की महिलाएँ नैटाल राजधानी मारिस बर्ग जेल में राखी गई। जेल जीवन में दोनों जत्थों की महिलाओं ने काफी कष्ट झेली,विषाक्त भोजन से अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ा। एक बहन ने विशेष प्रकार के भोजन का व्रत ले रखा था, बड़ी कठिनाई से उसे वह भोजन देने का निर्णय हुआ। लेकिन भोजन मिला भी तो बदबूदार तेल का ऐसा भोजन , जो गले से उतारा न जा सके। अपने खर्च से मागने की प्राथना पर ठुकरा दी गई , फलस्वरूप, वह बहन जब जेल से निकली तो हड़ियों का ढ़ाचा रह गई थी। कठिनाई से उसकी जान बचाई जा सकी। दूसरा अन्य सत्याग्रही 16 वर्षीय बलियम्मा भी जेल से भयंकर ज्वर लेकर निकली। जेल से बाहर आने पर लंबे कद की उस सुंदर षोड्शी की देह लकड़ी की ठठरी जैसी लग रही थी। इन द्वारा यह पूछे जाने पर, क्या अब भी यूमहे जेल जाने का पछतावा नहीं? "नहीं। पुलिस मुझे फिर गिरफ्तार करें , तो मै ऐसी हालत में भी दुबारा जेल जनर को तैयार हूँ।"

"लेकिन जेल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ?"

इस बातचीत के चार दिन बाद ही बलियम्मा स्वर्ग सिधार गई पर प्रथम सत्याग्रही यह बाला अपना नाम अमर कर गई। बलियम्मा की मृत्यु के बाद जगह-जगह पर शोक –सभाएँ हुई और प्रवासी भारतीयों ने उसकी पवित्र स्मृति के लिए बलियम्मा हाल नामक एक सभा – भवन बनाने का कार्य किया गया। इस तरह जेल जाने वाली अन्य महिलाओं ने भी जेल में बहुत कष्ट सहे। सभी कैदियों के कपड़े धोना , दुर्बलता और बीमारी का सामना करना पड़ा। अंततः विजय सुनिश्चित थी,हुई। हादतलियों पर जुल्म की रिपोर्ट भारत और इग्लैंड तक पहुँची। श्री गोपाल कृष्ण गोखले व लार्ड हार्डिग के बीच पत्र व्यवहार हुआ और जाँच कमीशन बैठा दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट आने तक आंदोलन स्थगित रहा, अंततः 31 जुलाई 1917 ई. को गिरमिय को समाप्त कर दी गई। गाँधी जी के अनुसार , इस तिथि के निर्धारण में वायसराज से मिलने वाले महिलाओं के प्रतिनिधि मण्डल का बहुत हाथ रहा। इसमें भी खास कोशिश थी, बहन जय जी पेट्रिट की। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में भी भिकाजी कमा की तरह विजय का पताका एक पारसी महिला के हाथ रही।

यह थी, भारतीय महिलाओं के आजादी के संघर्ष की प्रथम प्रेरणा, जिनसे आगे के लिए त्याग और बलिदान का पथ प्रशस्त किया। यहीं से गाँधी जी ने महिलाओं की संकल्प-शक्ति का आकलन किया और फिर उनका लक्ष-लक्ष भारतीय महिलाओं को अपने पीछे चलाकर आजादी की मंजिल तक ले गये।

संदर्भ ग्रंथ : -

1. रामरतन,गांधीज़ कान्सेप्ट ऑफ पोलिटिकल आब्लिगेशन, कलकत्ता : मिनर्वा ऐसोसिएट्स , संस्करण-1972,पेज न. 162
2. रामरतन प्राब्लम ऑफ पोलिटिकल आब्लिगेशन इन गांधीज़ पोलिटिकल थॉट, दिल्ली: दिल्ली वि. वि. पी. एच. डी. शोध प्रबंध, संस्करण- 1970, पेज न. 221: तथा कलेक्टिड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी,दिल्ली :पब्लिकेशन्स डिवीजन, भारत सरकार ,संस्करण – 1958-84,(9),पेज न. 28 ,
3. पूनम गर्ग,गांधी की विचारधारा पर पश्चिम का प्रभाव,दिल्ली , हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, संस्करण 1995,पेज न. -75
4. गोपीनाय धवन,दि पोलिटिकल फ़िलासफ़ी ऑफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली: दि गांधी पीस फाउंडेशन, संस्करण -1990 पेज न. - 25,57
5. हरिजन (अहमदाबाद),14-3-1936,38-39 तथा पूर्वोक्त स. 2,9, 243.
6. पूनम गर्ग, गाँधी की विचारधारा पर पश्चिम का प्रभाव, नई दिल्ली, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, संस्करण- 1985,पेज न. 76
7. रामरतन विंक्टएसैंस ऑफ महात्मा गांधीज़ पोलिटिकल फ़िलासफ़ी,नई दिल्ली : सिद्धार्थ पब्लिकेशन्स,1990,47
8. शारदा शोभिका , गांधीज़ कान्सेप्ट ऑफ स्वराज , दिल्ली : दिल्ली वि. वि. पी. एच. डी. शोध प्रबंध, संस्करण- 1983,पेज न. 409 तथा रामरतन , पूर्वोक्त सं. 6,117,

9. सिमौन पैंटरब्रिक, गांधी अगेन्स्ट मैकक्वावलिज्म, बम्बई :एशिया पब्लिकेशन्स हाउस, संस्करण 1966,पेज न. 327-28:तथा गोपीनाथ धवन , पूर्वोक्ति सं. 4,32-34
10.रामरतन, पूर्वोक्त सं. 2 228:तथा रामरतन, पूर्वोक्त सं. 7, 63
11.एम. के गांधी , पूर्वोक्त सं. 3,पृ. सं. 260-61,322-23 तथा गोपीनाथ धवन,पूर्वोक्त सं. -4,पृ. सं. 32-35.
12.बिशन सावरूप शर्मा , पूर्वोक्त सं. 11,9.
13.वही,9
14.शारदा शोमिका,पूर्वोक्त सं. 8,332;तथा रामरतन, पूर्वोक्त सं. 2,107,185-87.
15.रामरतन, पूर्वोक्त सं. 7,38
16.वही,38-39;पूर्वोक्त सं. 5,(8), 458;तथा एम. के. गांधी,स्टोन वाल्स डू नाट ए प्रिजन मेक,अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस 1964.
17.एम. के. गांधी, फॉर्म यर्वदा मंदिर, अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ,1957.
18.शारदा शोमिका,पूर्वोक्त सं. 8,90;तथा रामरतन, पूर्वोक्त सं. 6,34-36.
19.एम. के. गांधी, हिन्द-स्वराज, वाराणसी;उत्तरप्रदेश गांधी स्मारक निधि 1958,पृ. सं.13
20.रामरतन , पूर्वोक्त सं. 6,92
21.वही,264-65
22.रामरतन ,पूर्वोक्त सं. 7,46.
23.रामरतन, पूर्वोक्त सं. 2,264.
24.शारदा शोमिका, पूर्वोक्त सं. 8, 411
25.हरिजन 24-6-1946, 172
26.शारदा शोमिका पूर्वोक्त सं. 8, 126-27
27.रामरतन, पूर्वोक्त सं. 2, 384; तथा रामरतन पूर्वोक्त सं. 7, 54
28.गोपीनाथ धवन , पूर्वोक्त सं. – 4, 8-20
29.माधुरी वधवा , गांधी बिटविन ट्रेडीशन एंड माडरनिटी , नई दिल्ली : दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स,
30.संस्करण -1991 प्र. सं. – 116-30 तथा रामरतन , पूर्वोक्त सं. 2, प्र. सं. -227

31.रामरतन , पूर्वोक्त सं. 7 प्र. सं. – 3, 50
32.रामरतन , पूर्वोक्त सं. 2, 259-60
33.शारदा शोमिका , पूर्वोक्त सं. 8, 383
34.वही , प्र. सं. 385
35.सिमौन पैंटरब्रिक , पूर्वोत्तर सं. 9, 3, 8, 225-26
36.के. एल. श्रीथरानी, वार विदआउट वायलेंस: ए स्टडी ऑफ गाँधीज मैथड इट्स एकम्प्लिश मेंट लंदन:
37.बिट्टर कोलान्स 1939, 11-19रामरतन, पूर्वोक्त सं 6 -,183
38.वही, प्र. सं. 184
39.निकोलो मैक्यावली, दि प्रिंस, बम्बई जयकों पब्लिशिंग हाउस :, संस्करण1957 -, प्र. सं. 81-
40.रामरतन, पूर्वोक्त सं01 -, प्र. सं। 162 -
41.वही,162
42.वही,162
43.वही,64-163 ,
44..डी. जी. तेंदुलकर, महात्मा :लाइफ ऑफ मोहनदास कर्मचंद गाँधी , बम्बई .के .वी : झावेरी एंड डी. जी. तेंदुलकर,-1951 54,VI, प्र. सं. 16 –
45.हरिजन,1933-9-9 ,तथा वही 6 ,1946-3-31 ,65-64 ,
46.पूर्वोक्त सं, 5 XVII,152 ,485 ,
47.रामरतन, पूर्वोक्त सं ,7 53,54

उपसंहार

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की नब्ज पहचान कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत को मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता सत्य तथा अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह ही हो सकता है। गांधी का विश्वास था कि हिंसा से प्राप्त हुई आजादी थोड़े दिनों के लिए हो सकता है। किंतु यह स्थायी नहीं हो सकती, दूसरी ओर अहिंसा से प्राप्त की गई आजदी स्थायी और शांति कायम करने में सक्षम होगी। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी की कटु आलोचना भी की गई, किंतु इससे गांधी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे और अंतत: लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। गांधी के व्यक्तित्व में इतनी आकर्षण क्षमता थी कि सहज ही जनता उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। यहां तक की गांधी के आलोचक भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गांधी की बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को जनांदोलन बनाया और अपने आंदोलन में सभी वर्गों की शामिल किया। यहाँ तक की गांधी के सत्याग्रह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप देश आजाद हुआ। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के विभिन्न चरणों में महिलाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लेकर अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ संख्यात्मक दृष्टि से उसे मजबूत बनाया ही, वे अपने मुद्दे और मसविदे भी साथ लेकर आई। सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं को पहली बार घर से बाहर किसी गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिला। महिलाओं के राजनीतिकरण की यह प्रक्रिया बिना बाधा व सहज तरीके से हुई कि पुरूष संरक्षकों की तरफ से किसी रूकावट के स्थान पर उनकी सराहना ही मिली। गांधी के प्रभाव से असहयोग आंदोलन में पहली बार महिलाएं भारी संख्या में आंदोलन से जुड़ीं और खादी, चरखा को लोकप्रिय बनाने के लिए जुलूस निकालकर समूहों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस क्रम में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन स्वराज और महिलाओं के उद्धार एवं उत्थान के लिए किया गया। गांधीजी के हरिजन उद्धार के विचारों से प्रेरित होकर महिलाओं के हरिजनों की शिक्षा के लिए कक्षाएं लगाई। इस तरह असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें अपने लिए एक जगह मिली, महिलाओं के मन में अपनी उपलब्धियों के प्रति अहसास लगा। जहाँ तक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में महिला की छवि का

प्रश्न है उल्लेखनीय थी। 'नई स्त्री' परिष्कृत, शिक्षित और परंपरागत मूल्यों में पारंगत स्त्री, राष्ट्रीय पहचान और सारतत्व का आधार बन गई थी। 'नई स्त्री' की छवि का निर्माण राष्ट्रवादी अभिजात्य वर्ग की वर्गीय चिंताओं की अभिव्यक्ति थी, महिलाओं की एक बड़ी संख्या औद्योगिक श्रमिक जमात का हिस्सा थी,जो अपने वेतन और काम के हालात के सिलसिले में उपनिवेशवाद के तहत पनप रहे पूंजीवाद से लोहा ले रही थी। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में महिलाओं ने निष्क्रिय प्रतिरोध से लेकर सशस्त्र क्रांति तक, तमाम तरह की भूमिकाओं में भागीदारी की। राष्ट्रवादी अभिजात्य वर्ग का यह कहना कि 'महिला प्रश्न' का समाधान कब लिया गया है, तब भी स्वयं महिलाएं अपने संघर्ष को केवल केवल औपनिवेशिक वर्चस्व के विरूद्ध नहीं मानती थी, इसके परे, वह महिला के तौर पर एक साथ कई मोर्चों पर जैसे दहेज, बलात्कार, हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव, समान वेतन जैसे विषयों पर संघर्षरत रही। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक अधीनीकरण से आजादी पाने के लिए न केवल राष्ट्रीय मुक्ति बल्कि सामाजिक बदलाव के मोर्चे पर भी महिलाएं सक्रिय रहीं। सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को नारी शिक्षा और समाज सुधार आंदोलन से जोड़ने के लिए इतिहासकारों ने केवल उच्च वर्ग की संभ्रात महिलाओं की भूमिका को मुख्य तौर से दर्शाया है तथा ऐसा करते हुए उन्होंने किसान और मजदूर वर्ग की उन महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग आंदोलनों में, संघर्षों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी की। इनमें घरेलू औरतें हैं, माताएं, पत्नियाँ भी शामिल है और वे महिलाएं भी जिनके पति संघर्ष में मारे गये या जेल में बंद कर दिये गये, उन महिलाओं ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर आंदोलनों में प्रत्यक्ष योगदान किया। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में ना केवल उच्च वर्ग या उच्च जाति की महिलाओं की भूमिका रही, बल्कि साधारण दलित, किसान, मजदूर महिलाओं की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भूमिका रही है जिसके योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पुलिस दमन के खिलाफ उनके साहस, सामाजिक कलंक के आरोपों का सामना करने की उनकी हिम्मत और आंदोलन में भागीदारी करने की खातिर उनकी दोहरी कठिनाइयों का जिक्र हम पाते है।

सविनय अवज्ञा आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से 1920 के दशक की शुरूआत की भागीदारी से भिन्न थी। उस

समय राष्ट्रीय आंदोलन में हर तबके की महिलाएं आंदोलन से जुड़ीं। कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं से महिलाओं की जो गौरवमयी छवि बनी वह एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या मार्ग रेट कज़िन्स द्वारा बनाई गई महिला छवि से बहुत भिन्न थी। कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बिंदु हमेशा शहरों श्रमिक महिलाओं के स्थान पर ग्रामीण किसान महिलाएं रहीं। कर और राजस्व के बहिष्कार की प्रतिक्रिया में सरकार ने निलामी की नीति अपनाई। इन निलामियों के बहिष्कार में महिलाएं काफी सक्रिय थीं। कई बार महिला सत्याग्रही समान खरीदने वालों के घरों में भूख हड़ताल पर बैठी रहती। 1930 के दशक में महिलाओं को पहली बार पुलिस दमन का सामना भी करना पड़ा। 1930-33 के बीच बीस हजार महिला सत्याग्रही जेल भेजी गई और उन्हें सजा हुई। नमक सत्याग्रह के लिए जब गांधीजी ने एक भी महिला को साथ नहीं रखा, तब गांधीजी से तर्क वितर्क करके नमक सत्याग्रह में शामिल होकर महिलाओं ने व्यवहारिक जीत हासिल की। जहाँ तक एक ओर महिलाएं सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलनों में भाग ले रही थीं, काफी संख्या में महिलाएं क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़ रही थीं। इनमें अधिकतर छात्राएं थीं। क्रांतिकारी आंदोलन के भीतर महिलाएं और पुरूष एक दूसरे से दूर रहे तथा जैसे-जैसे युवा लड़कियों की बंगाल आंदोलन में भागीदारी बढ़ी, महिलाओं के एक्टीविज्म का काफी विरोध हुआ। कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी महिलाओं ने 1930 के दशक में पहली बार राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए देशव्यापी अभियान में एक साथ काम किया।

आंदोलन के अगले चरण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भूमिगत रहकर समानांतर सरकार बनाने में सहायक बनीं तथा कई गैर कानूनी कामों में भागीदार बनीं। बड़े पैमाने पर महिलाओं को आत्मरक्षा-संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार इस आंदोलन में भी गांधीजी के आदेशों को दरकिनार करते हुए महिलाओं ने भूमिगत होकर तोड़फोड़ की गतिविधियों में हिस्सा लिया। दरअसल गांधीवाद के ढांचे में निषेध के ऐसे स्वरों की कोई गुंजाइश नहीं थी, अत: ऐसी इक्का–दुक्का घटनाओं के अलावा इस प्रकार के प्रतिरोध को कोई बढ़ावा नहीं मिला। ठीक इसके विपरीत मार्क्सवादी विचारधारा में और सशस्त्र संघर्षो में, साधारण किसान औरतों के अपनी बेड़ियां तोड़कर अपने ही नेताओं तक की पुरूषवर्चस्वता वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ आवाज उठाने पर कोई रोक नहीं थी।

इस तरह सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को देखते है तो वह उनकी घरेलू भूमिका का विस्तार मात्र ही दिखती है। इस भागीदारी में उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में पुरूषों के समान कोई चुनाव या स्वतंत्र कार्य करने की गुंजाइश नहीं थी। आंदोलन में उनकी भागीदारी से न तो उनके घरेलू जीवन या पारिवारिक समीकरणों में कोई अंतर आया, न उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन आया और न ही उनकी राजनीतिक भूमिका में कोई बदलाव आया। महिलाओं को कभी भी राजनीतिक एक्टीविस्ट की तरह नहीं देखा गया। जिस तरह महिलाओं की राजनीतिक भूमिका तय करने में उनकी समाज में स्वीकृत पारंपरिक भूमिका के साथ बारीकी से जोड़-तोड़ की गई उसके पीछे भी राजनीति ही दिखती है। महिलाओं को प्रतिरोध आंदोलन में शामिल करने के लिए जो ढांचा और रणनीति बनाई गई उससे न तो उनका राजनीतिकरण संभव थी, न ही निरंतर भागीदारी और न ही उनके हितों की रक्षा। खादी कार्यक्रम में काफी महिलाओं को जोड़ा गया पर सूत कातना, वस्त्र बुनना पहले से ही महिलाओं का क्षेत्र रहा है। दूसरा क्षेत्र देशी हस्तकला को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में महिलाओं की योग्यता और कुशलताओं को ही आगे किया गया है। समाज सुधार आंदोलन और पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन में स्त्री पुरूष की भिन्नता आदि सवालों की खादी आंदोलन में कोई जगह नहीं थी। खादी संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की श्रमिक के रूप में देखा ही नहीं गया। गांधीजी ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट रूप से कभी कुछ नहीं कहा। गांधीजी की आदर्श स्त्री की संकल्पना में स्वतंत्र जीविकोपार्जन करने वाली आधुनिक आत्मनिर्भर स्त्री की छवि तो कहीं थी ही नहीं। गांधीजी के अनुसार स्त्री त्याग और पीड़ा की प्रतिमा है और सार्वजनिक जीवन में उनका काम अबाधित महत्वाकांक्षा और संपति अर्जन पर रोक लगाना है। सूत कातना और वस्त्र बिनना उसके लिए धार्मिक कार्य थे और वे महिलाओं के स्वभाव के अनुकूल थे। सूत कातने और वस्त्र बुनने के जो संस्थान विकसित हुए उन पर काफी प्रतिबंध थे। वहाँ महिलाओं को सीमित स्वायत्रता ही मिली हुई थी। वे न तो सामाजिक विचारधारा या मूल्यों का उल्लंघन कर रही थीं न ही कोई स्त्री क्षेत्र की सीमा लांघकर पुरूष क्षेत्र में प्रवेश कर रही थीं। चतुर राजनीतिज्ञों ने महिलाओं के लिए ऐसे ही कार्यों की सोची जिससे स्त्री पुरूष क्षेत्रों का वैचारिक और व्यवहारिक अलगाव बना रहे। राष्ट्रवादियों ने महिलाओं की भीतरी या बाहरी राजनीतिक गतिविधियों में परंपरा से हटकर कुछ बदलाव लाने की सोची ही नहीं। महिला का कार्यक्षेत्र घर था, उनकी पोषक और व्यागमयी मां की छवि को

ज्यों का त्यों बनाए रखा गया, इस बात पर विशेष बल दिया जाता रहा कि महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में जाएं तो भी अपने नारीसुलभ आध्यात्मिक गुण नहीं छोड़े। बार-बार उनके विनम्र और विनयशील गुणों की पुष्टि की जाती रही, आचरण और व्यवहार में विनम्रता और शालीनता का गुण केवल मानवों में पाया जाता है, पशुओं में नहीं। और मानवों में भी यह पुरूषों से ज्यादा स्त्रियों में पाए जाते है क्योंकि वे इसके लिए विशेष प्रयत्नशील रहती है। स्वाधीनता आंदोलन को केवल बाहरी राजनीतिक आंदोलन न मानकर एक विशेष प्रकार का त्याग और बलिदान माना गया। आंदोलन एक धार्मिक प्रक्रिया थी और सांस्कृतिक तथा धार्मिक जंग थी। राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण विरोध पाश्चात्य मानदंडों और प्रतिमानों से था और आंदोलन की भाषा, अवधारणा, प्रतीक आदि सबमें भारतीय धर्म एवं परंपरा को बनाए रखने पर विशेष जोर था। बार-बार याद दिलाया जा रहा था कि हमे पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। यहीं हमें विरोधाभास की स्थिति दिखती है। आंदोलन की इन परंपरावादी जड़ों के कारण ही हजारों महिलाएं आंदोलन में भाग ले सकीं और इसी कारण से वे अपने निजी व सार्वजनिक जीवन में परंपरा से डटकर कुछ नहीं कर सकीं। इस तरह राष्ट्रीयता के इतिहास में महिलाओं का योगदान केवल उनकी पारंपरिक भूमिका का विस्तार मात्र है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखता।

इस तरह समग्रता से कहा जा सकता है कि महिलाओं ने आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष से अपने को जोड़ा, जिससे स्वयं उसमें जागृति आई। देश की परतंत्रता की मुक्ति में भारतीय नारियों ने अपनी मुक्ति देखी। वस्तुत: भारत में नारी मुक्ति और नारी जागृति के आयाम समाज सुधार व स्वतंत्रता आंदोलन ही रहे। आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए उठी नारियों ने ही नारी जागृति और फिर नारी मुक्ति का कार्य किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. व्होरा, आशारानी, महिलाएं और स्वराज्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, संस्करण 2012
2. लोकनीता जिनी, मेनन निवेदिता और आर्य साधना, (2010), नारीवादी राजनीति संघर्ष एव मुद्दे, नई दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय
3. कुमार, राधा, (2003) स्त्री संघर्ष का इतिहास, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन
4. गुप्त, मोहिनी ओर गुप्त विश्व प्रकाश, (2008), स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं, नई दिल्ली : नमन प्रकाशन
5. कुमार प्रभात, (2000), स्वतंत्रता संग्राम और गांधी का सत्याग्रह, नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय
6. सरकार, सुमित, (2007), आधुनिक भारत, नई दिल्ली:राजकमल प्रकाशन
7. गांधी, मो.का. (2011) दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, अहमदाबाद : नवजीवन ट्रस्ट
8. गांधी, मो.का. (2012) सत्य के प्रयोग, अहमदाबाद : नवजीवन ट्रस्ट
9. प्यारे लाल, (2002) महात्मा गांधी पूर्णाहुति, अहमदाबाद : नवजीवन ट्रस्ट
10. नैयर, सुशीला (2005) बापू की कारावास कहानी, दिल्ली: सस्ता सहित्य मण्डल
11. पंडया जयंत, (2006) गांधी और उनके शिष्य, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट
12. कक्कड़ सुधीर, (2005) मीरा और महात्मा, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन
13. गर्ग, पूनम (1995) गांधी की विचारधारा पर पश्चिम का प्रभाव, नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, धर्माधिकारी, दादा, (1998) समग्र सर्वोदय राजघाट : सर्व सेवा संघ प्रकाशन
14. प्रसाद, आशा (2003) कस्तूरबा, कमला, प्रभावती, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशनएस
15. शुक्ला, प्रो. आशा व त्रिपाठी, कुसुम (2014). उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और जेंडर, महिला अध्ययन विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल